न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

उनवान जगदीश बनाम सरकार

ा संख्या / वर्ष टी0आई0 42 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली से संबंधित अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी जगदीश बनाम सरकार टी0आई0 संख्या 118 / 2022 न्यायालय हाजा में जैरकारं है, जिसका अंतिम निस्तारण गुणावगुण पर दिनांक 18.10.2024 को किया जा चुका है। चूंकि इस प्रार्थना पत्र में भी सभी पक्षकार, प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु एवं चाहा गया अनुतोष पूर्व में जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी जगदीश बनाम सरकार टी0आई0 संख्या 118 / 2022 के समान है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को धारा–11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं होनें से धारा–151 में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	